



प्रेस नोट जनपद बागपत

जनपद बागपत

दिनांक 30.01.2025

बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम

व पता:-

1-महबूब पुत्र शाबुदीन निवासी मौ0 लाईन पार कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-नीटू पुत्र लाला निवासी पट्टी छिजाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-विजय पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम शिकौहपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-थाना खेकड़ा पुलिस टीम ।

2-थाना दोघट पुलिस टीम ।

3-थाना बडौत पुलिस टीम ।





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 30.01.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 41/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में बांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामदा

कार्यवाही-

दिनांक 25.01.25 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी प्रशान्त पुत्र दर्शन सिंह निवासी ग्राम नैथला थाना बागपत ने लिखित तहरीर दि कि अभियुक्त नितेश पुत्र जसवीर निवासी ग्राम गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादी के ताऊ के लडके प्रवेश शर्मा पुत्र कृष्णपाल उम्र 30 वर्ष के पेट में गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना



कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 41/25 धारा 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 41/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में बांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

नितेश पुत्र जसवीर निवासी ग्राम गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास अभियुक्त –

1-मु0अ0स0 608/19 धारा 307/394/411 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत

2- मु0अ0स0 610/19 धारा 379/411 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत

3-मु0अ0स0 611/19 धारा 414 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत

4-मु0अ0स0 739/22 धारा 324/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-मु0अ0स0 171/24 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6-मु0अ0स0 609/19 धारा 25/27 ए एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

7-मु0अ0स0 41/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 ए एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-का0 846 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

3-का0 885 हरिओम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 30.01.2025

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. विनित पुत्र बिजेन्द्र उर्फ पप्पे उर्फ प्रवेन्द्र निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 06/25 धारा 296,109,115(2),352,351(2) भा0 न्याय सं0 थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 10/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत ।

नोट:- गिरफ्तार अभियुक्त विनित थाना बालैनी के मु0अ0सं0- 06/25 धारा 296/109/115(2)/352/351(2) बीएनएस में वॉछित चल रहा था ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत
- 2-का0 418 परमजीत सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत
- 3-हो0गा0 709 एस कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत

